रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239324
CG-DL-E-03102022-239324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
No. 483] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.100.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) की अनुसूची में,-

(i) खंड 9 में,-

(क) विद्यमान खंड को उपखंड (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा,

(ख) उपखंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी दिवाला व्यावसायिक संस्था को तब व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा यदि वह बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र नहीं है ।"

(ii) खंड 10 के उपखंड (1) में, "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यक्ति या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) खंड 12 के उपखंड (1) में मद (चक) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(चख) जहां व्यावसायिक सदस्य एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है वहां यथास्थिति, भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे,"

(iv) खंड 12क में,

(क) (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

(ख) उपखंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु मद (ग), मद (ङ) और मद (छ)(iii) ऐसे किसी व्यावसायिक सदस्य के लिए लागू नहीं होगी जो दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक संस्था है ।"

(v) (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

(vi) (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./305/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 293, तारीख 22 जुलाई, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.076, तारीख 22 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG100.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in the Schedule,

(i) in clause 9,

(a) the existing clause shall be renumbered as "9. (1)",

(b) after sub-clause (1), the following shall be inserted, namely: -

"(2) No insolvency professional entity, recognised by the Board under regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, shall be enrolled as a professional member if it is not eligible to be registered as an insolvency professional with the Board."

(ii) in clause 10, in sub-clause (1), for the words "an individual", the words "an individual or an insolvency professional entity recognised by the Board under regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016" shall be substituted.

(iii) in clause 12, in sub-clause (1), after item (fa), the following shall be inserted, namely:-

"(fb) details of the partners or directors, as the case may be, where the professional member is an insolvency professional entity;"

(iv) in clause 12A,

(a) in sub-clause (2), for the words "he", the words "the professional member", shall be substituted.

(b) after the sub-clause (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the item (c), item (e) and item (g)(iii) shall not be applicable for a professional member, which is an insolvency professional entity registered as an insolvency professional."

(v) in sub-clause (8) of clause 10, sub-clause (7) of clause 12A, sub-clause (1) of clause 13, sub-clause (b) of clause 20, sub-clause (1) of clause 26, clause 27, clause 28 and clause 30, for the word "his", the word "its" shall be substituted.

(vi) in sub-clause (1) of clause 12, sub-clause (2) of clause 12A, and clause 20, for the word "him", the word "it" shall be substituted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./305/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Third Amendment) Regulations, 2021 published *vide* notification No. IBBI/2021-22/GN/REG076 dated 22nd July, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 293 on 22nd July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.10.03 23:06:00 +05'30'